

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2: पृष्ठ 1)

विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
1	कृषि	फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों आदि जैसी फसलों के क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि की योजना बनाना। यह कृषक समुदाय को गुणवत्तापूर्ण आदान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा नवीनतम तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए भी जिम्मेदार है जिसे विस्तार सेवाएँ कहा जाता है।
2	कृषि विपणन	कृषि विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, किसानों को मंडियों में विपणन सुविधाएं प्रदान करना और किसानों को उनकी फसल बेचने के समय उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करना।
3	पशुपालन	पशुओं को उपचार प्रदान करना, पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना, टीकों का निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना आदि।
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण, मूर्त और अमूर्त दोनों कला और संस्कृति के सभी सयों को बढ़ावा देना, विभिन्न कला और वास्तुकला के रूप में सन्निहित सांस्कृतिक विरासत की सोज, संरक्षण, सुरक्षा, प्रदर्शन और व्याख्या करने के लिए टोस प्रयास करना। यह अपने नियंत्रण में स्मारकों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुरातात्विक स्थलों की भी देखभाल करता है।
5	नागरिक उद्डयन	एक एकीकृत इको-सिस्टम स्थापित करना, जिससे नागरिक उद्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा।
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	निर्मित सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग और कृषि विस्तार और संघारणीय कृषि अनुसंधान के समन्वय से अधिकतम भूमि को सिंचित करके कृषि उत्पादन प्राप्त करना।
7	सहकारी	सहकारी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना।
8	देवस्थान	मंदिरों/धार्मिक संस्थानों में आत्मनिर्भरता पैदा करना। विभाग, इनके नियंत्रण और प्रबंधन, पूजा सुविधाएं प्रदान करने, विभिन्न त्योहारों और मेलों का आयोजन करने, सार्वजनिक ट्रस्टों के पंजीकरण और पर्यवेक्षण और इनके नियंत्रण, देवस्थान विकास की योजना बनाने, जनता के लिए धर्मशालाओं और विश्राम गृहों के निर्माण और रखरखाव और विभिन्न मंदिरों के लिए महंतों और पुजारी की नियुक्ति, में भी शामिल है।
9	ऊर्जा	ऊर्जा संसाधनों की सोज, विकास और वितरण की निगरानी करके, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन को सुगम बनाकर एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को विकसित और लागू करना। इसलिए, विभाग पूरे राज्य में बिजली

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
		उत्पादन, संचरण और वितरण प्रणालियों के संचालन की निगरानी और नियमन करता है। इसके अलावा, विभाग ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को ऋण और अनुदान के लिए मंजूरी देता है और अन्य प्रशासनिक मामलों से निपटता है।
10	पर्यावरण	विकास योजनाओं से संबंधित योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं परियोजनाएं, कार्यक्रम बनाना और निष्पादित करना और अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा करना है।
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना। कारखानों में दुर्घटनाओं और स्तरनाक घटनाओं की जांच करना और औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी करना है।
12	मत्स्य पालन	मछली और मछली बीज उत्पादन में वृद्धि करना, राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देना और मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना।
13	स्वादा, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	किसानों से उचित मूल्य पर साधान्न की खरीद, उसका भंडारण हेंडलिंग, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन और उचित संचालन।
14	वन	वानस्पतिक आवरण को बढ़ाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना। इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जल रिजर्व से प्राप्त किया जाना है।
15	गोपालन	गौशालाओं का पंजीकरण करना और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर विकसित करना, राज्य की देशी गायों की नस्लों का संरक्षण एवं उन्नयन, कमी के दौरान चारा प्रबंधन, गौपालकों और गौशालाओं के लिये जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और प्रसंस्करण के माध्यम से पशु उत्पादों का मूल्यवर्धन करना।
16	भूजल	विभाग सभी प्रकार की भूजल संबंधी गतिविधियों जैसे भूजल संसाधन मूल्यांकन, सर्वेक्षण और जांच, गहरे ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, भूजल गुणवत्ता निगरानी, स्रोत विकास, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं और वर्षा जल संवयन संरचनाओं के लिए तकनीकी सहायता के लिए राज्य में नोडल विभाग है।
17	उद्यानिकी	फलों, सब्जियों, मसालों, औषधीय और फूलों की सेती वाली फसलों के क्षेत्र, नर्सरी में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड पौधों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, और किसानों को आपूर्ति करना है; ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय बागवानी कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करना।
18	इंदिरा गांधी नहर	कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध करना है।
19	उद्योग	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को बढ़ावा देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना, लवणीय क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्प कारीगरों का विकास, हथकरघा इत्यादि का विकास है। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में विभिन्न रियायतें, सुविधाएं तथा सहायता भी प्रदान करता है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	राज्य के कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रशासन में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रौद्योगिकी का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करना। विभाग तकनीकी मामलों तथा आईटी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है। विभाग राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति बनाता है और लागू करता है।
21	स्नान एवं भूविज्ञान	राज्य में स्नान संसाधनों की सृज, विकास एवं प्रशासन करना। विभाग नवीन स्नानि भण्डारों के लिये सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण करता है तथा भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, भू-रसायन तथा ड्रिलिंग तकनीकी से उनकी सुनिश्चितता का मूल्यांकन करता है जिससे उन्हें दोहन के लिये तैयार किया जा सके।
22	पेट्रोलियम निदेशालय	पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस और पेट्रोलियम स्नान पट्टों के अनुदान के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना। पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व का संग्रह, तेल, गैस और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के लिए आवंटित ब्लॉकों में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (मिनिमम वर्क प्रोग्राम) के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों का अनुसरण करना।
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	यह विभाग भूजल और सतही जल संसाधनों के विकास तथा राज्य की ग्रामीण और शहरी आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल वितरण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य की जल आपूर्ति योजना को नियंत्रित करता है और जल शुल्क भी एकत्र करता है।
24	सार्वजनिक निर्माण	सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण और रखरखाव। विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
25	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	राज्य सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना। इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना।
27	राज्य उद्यम	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना।
28	पर्यटन	राज्य के पर्यटन और संस्कृति को बढावा देकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांड बनाना। इसका मुख्य कार्य मौजूदा पर्यटन उत्पादों को मजबूत करना और विविधता लाना, नवीन पर्यटन उत्पाद प्रदान करना, पर्यटक आवास संरचनाओं का विस्तार करना और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
29	परिवहन	मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना।
30	जल संसाधन	प्रमुख, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मौजूदा टैंकों, नहरों और अन्य सिंचाई संरचनाओं का संचालन और रखरखाव विभाग का प्रमुख कार्य है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय, विभिन्न विशेष योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई संरचनाओं का निर्माण।

परिशिष्ट -2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.1; पृष्ठ 5)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के अवधिवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या			बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या			सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)					
		पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	
1.	कृषि	151	71	30	252	597	412	257	1,266	1,653.28	971.50	916.86	3,541.64
2.	कृषि विपणन	8	0	3	11	21	0	14	35	25.87	42.86	287.59	356.32
3.	पशुपालन	52	11	9	72	106	75	66	247	2,999.83	188.76	315.74	3,504.33
4.	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	54	25	10	89	133	111	44	288	120.78	107.29	234.37	462.44
5.	नागरिक उड्डयन	4	1	3	8	10	3	13	26	37.37	4.32	18.81	60.50
6.	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	52	5	3	60	82	15	15	112	88.21	8.26	51.55	148.02
7.	सहकारी	54	22	17	93	123	102	73	298	995.49	1,242.43	189.17	2,427.09
8.	देवस्थान	33	9	6	48	78	43	31	152	81.54	102.18	34.19	217.91
9.	ऊर्जा	0	1	4	5	0	1	10	11	0	278.49	6,941.89	7,220.38
10.	पर्यावरण	6	1	3	10	31	4	28	63	576.31	0	1,145.45	1,721.76
11.	कारस्थाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	1	0	15	16	1	0	54	55	0	0	3.36	3.36
12.	मत्स्य पालन	0	1	2	3	0	6	13	19	0	14.06	38.38	52.44
13.	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	84	12	16	112	394	115	120	629	5,053.57	266.64	495.49	5,815.70
14.	वन	231	88	60	379	808	514	436	1,758	1,110.75	460.26	829.80	2,400.81
15.	गोपालन	7	13	3	23	33	80	26	139	48.82	264.66	72.99	386.47

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
16.	भूजल	26	5	8	39	40	11	36	87	392.25	34.32	37.44	464.01
17.	उद्यानिकी	34	0	17	51	119	0	108	227	527.97	0	45.34	573.31
18.	इंदिरा गांधी नहर	58	10	5	73	112	34	32	178	263.30	134.52	51.17	448.99
19.	उद्योग	23	6	18	47	50	28	71	149	28.73	92.29	22	143.02
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	1	6	3	10	1	19	32	52	0	1,495.64	69.54	1,565.18
21.	स्नान एवं भूविज्ञान	248	56	58	362	780	354	537	1,671	1,804.96	206.40	2,266.52	4,277.88
22.	पेट्रोलियम निदेशालय	1	1	1	3	1	2	4	7	0	118.06	203.46	321.52
23.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	885	168	124	1,177	2991	1125	781	4,897	7,821.33	3,812.34	4,877.02	16,510.69
24.	सार्वजनिक निर्माण	1,114	194	118	1,426	5,196	1,134	733	7,063	4,236.60	1,672.34	2,923.03	8,831.97
25.	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	1	3	2	6	1	12	10	23	0.03	13.71	2.93	16.67
26.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	7	6	9	22	13	17	35	65	8.19	6.24	33.89	48.32
27.	राज्य उद्यम	1	0	2	3	1	0	5	6	0.07	0	40.77	40.84
28.	पर्यटन	13	2	1	16	24	24	11	59	72.3	69.74	39.54	181.58
29.	परिवहन	240	34	51	325	859	164	626	1,649	39.35	5.43	107.01	151.79
30.	जल संसाधन	533	111	33	677	1,816	745	183	2,744	2,084.61	512.42	1,361.87	3,958.90
	योग	3,922	862	634	5,418	14,421	5,150	4,404	23,975	30,071.51	12,125.16	23,657.17	65,853.84

परिशिष्ट-3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.18; पृष्ठ 34 देखें)

चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों में 31.03.2023 को स्वीकृत और क्रियान्वित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	विभाग जिससे कार्य संबंधित है	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	निरस्त/छोड़े गये कार्यों की संख्या
1	बांसवाड़ा	शिक्षा	92	76	9	7
		पंचायती राज	54	0	8	46
		सार्वजनिक निर्माण विभाग	19	13	6	0
		चिकित्सा	22	15	6	1
		वन	11	5	5	1
		जल संसाधन विभाग	2	1	0	1
		अन्य	7	3	3	1
		योग	207	113	37	57
2	भीलवाड़ा	सार्वजनिक निर्माण विभाग	297	149	43	105
		जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	605	500	15	90
		शिक्षा	841	535	88	218
		जल संसाधन विभाग	33	29	4	0
		वन	65	24	16	25
		चिकित्सा	750	615	16	119
		अन्य	65	3	15	47
		योग	2656	1855	197	604
	सीकर	शिक्षा	29	23	4	2

क्र. सं.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	विभाग जिससे कार्य संबंधित है	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	निरस्त/छोड़े गये कार्यों की संख्या
		सार्वजनिक निर्माण विभाग	9	6	3	0
		वन	8	6	1	1
		चिकित्सा	22	14	1	7
		जल संसाधन विभाग	50	43	0	7
		पंचायती राज	0	0	0	0
		अन्य	4	0	0	4
		योग	122	92	9	21
28	बाड़मेर	शिक्षा	397	308	89	0
		जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	510	203	306	4
		चिकित्सा	17	14	1	0
		वन	153	143	10	0
		सार्वजनिक निर्माण विभाग	102	48	63	3
		पंचायती राज	12	6	3	3
		जल संसाधन विभाग	25	24	0	1
		अन्य	29	13	3	0
		योग	1245	759	475	11
30	भरतपुर	सार्वजनिक निर्माण विभाग	4	4	0	0
		चिकित्सा	11	11	0	0
		पंचायती राज	28	28	0	0
		योग	43	43	0	0
		महा योग	4273	2862	718	693

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 52)

खनिजों के अतिरिक्त उपयोग और गलत आंकलन का विवरण

विवरण/खनिज	अल्पावधि अनुज्ञापत्र के अंतर्गत अनुमत मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	वास्तव में उपयोग की गई मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	अधिक उपयोग की गई मात्रा (अधिक उपयोग की गई मात्रा का उपयोग) (लाख मीट्रिक टन में)	वसूली योग्य राशि	अधिशासी अभियंता, कोटा के अनुसार उपयोग एवं खान विभाग द्वारा निर्धारित की गई मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	खान विभाग के अनुसार उपयोग की गई अतिरिक्त मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	खान विभाग द्वारा आंकलन के आधार पर मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
साधारण रेत	21.42	23.85	2.43 (11.31)	₹ 19.38 (2.43 x 4 x 2)	17.03	4.39 (कम मात्रा का उपयोग किया गया)	19.32
एग्रीगेट/चिनाई पत्थर/क्रेशर डस्ट	13.26	16.84	3.58 (27)	₹ 1,002.73 ¹ (3.58 x 28 x 10)	16.84	3.59 ²	110.46 (एक बारीय अधिशुल्क एवं डीएमएफटी)
योग				1,022.11			91.14
कम आंकलित राशि (5-8) ₹ 9.31 करोड़							

¹ स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक स्निज का उपयोग किया गया इसलिए 10 गुना अधिशुल्क देय है।

² टेकेदार ने 3.58,645 मीट्रिक टन स्निजों की स्वीड के लिए अधिशुल्क भुगतान वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए।

परिशिष्ट-5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 52)

अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना चिनाई पथर खनिज के लिए जारी किए गए अल्पावधि अनुज्ञापत्र का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र सं.	अल्पावधि अनुज्ञापत्र संख्या	टेकेदार का नाम	कार्यदेश का विवरण	खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने की दिनांक	अल्पावधि अनुज्ञापत्र समाप्ति की दिनांक	अग्रिम रूप से प्राप्त होने वाली राशि				
							अधिशुल्क	डीएमएफटी	आरएसएमईटी	अनुज्ञापत्र शुल्क	कुल
1	7/2021	एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर कुंडल से झाड़ोल (एनएच 58 ई का खंड) तक	80000	6/8/2021	10/31/2021	2240000	224000	44800	40100	2548900
2	17/2021	एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	डिजाइन चैन 0.000 से 43.900 (कार्यशील लंबाई = 58.03 किमी) तक पक्के आधार के साथ दो लेन का उन्नयन (पैकेज-1)	100000	8/31/2021	10/31/2021	2800000	280000	56000	50100	3186100
			योग	180000			5040000	504000	100800	90200	5735000

परिशिष्ट-6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 61)

3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 के दौरान जारी ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास से संबंधित वसूली योग्य राशि का विवरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टों के लिए जारी ई-रवन्नाओं की संख्या	अत्यावधि अनुज्ञापत्र के लिए जारी ई-रवन्नाओं की संख्या	पंजीकृत डीलरों के लिए जारी ई-ट्रांजिट पासों की संख्या	कुल जारी ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास	प्रोसेसिंग शुल्क के संबंध में वसूली योग्य राशि	जारी तथ्यात्मक विवरण के अनुपालन में वसूल की गई राशि	शेष वसूलनीय राशि
1	स्नि अभियंता झुंझुनू	190933	0	100800	291733	2917330	1789740	1127590
2	स्नि अभियंता भीलवाड़ा	105776	0	36551	142327	1423270	118810	1304460
3	सहायक स्नि अभियंता रूपवास	75357	1610	40460	117427	1174270	390970	783300
4	स्नि अभियंता जोधपुर	83432	5167	20741	109340	1093400	523710	569690
5	स्नि अभियंता अजमेर	34427	22790	36664	93881	938810	199160	739650
	योग	489925	29567	235216	754708	7547080	3022390	4524690

परिशिष्ट-7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 62)

प्रीमियम राशि जमा न करने वाले खनन पट्टों का विस्तृत विवरण

क्रम संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	पंजीकरण तिथि	कुल प्रीमियम	प्रीमियम जमा करने की देय तिथि (तीसरी किस्त)	जमा किये जाने वाला 20 प्रतिशत प्रीमियम
1	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/04/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
2	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/06/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	1750000	24 दिसम्बर 21	350000
3	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/02/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
4	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/08/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
5	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/11/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	170000	24 दिसम्बर 21	34000
6	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/03/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	3500000	24 दिसम्बर 21	700000
7	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/10/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
8	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/01/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
9	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/07/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
10	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/05/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	1750000	24 दिसम्बर 21	350000
11	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/09/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	1900000	24 दिसम्बर 21	380000
योग							20,06,000

परिशिष्ट-8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 63)

उन खनन पट्टों का विस्तृत विवरण जिनमें पट्टा क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया जबकि पट्टेधारक ने ई-रवन्ना का दुरुपयोग करके पट्टा क्षेत्र के अलावा अन्यत्र खनिज निर्गमित किये

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	सौजूदा पट्टों की कुल संख्या	चयनित पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	अवधि	निर्गमन हेतु प्रयुक्त रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मी.टन)	अधिशुल्क की दर	वसूली योग्य राशि
1	खनि अभियंता अजमेर	492	50	20/2004	श्री सुनील कुमार जैन	चिनाई पत्थर	अप्रैल 2018 से मार्च 2021	1401	29848.98	28	8357714.4
2				284/2010	सपेड़िया ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज	चिनाई पत्थर	मार्च 2019	878	13496.66	28	3779064.8
3				B/23/1995	गिरीश सोन जी	फेल्सपार	01.04.18 से 21.08.19	410	6516.95	60	3910170
4				5/2006	श्रीमती शिल्पा जैन	चिनाई पत्थर	जनवरी 2019 से नवम्बर 2021	540	7701.47	28	2156411.6
5				बी/359/2006	शांति	फेल्सपार	01.07.18 से 21.08.19	1250	21522.71	60	12913626
योग								4720	82160.73		33883551

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	सौजूदा पट्टों की कुल संख्या	चयनित पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	अवधि	निर्गमन हेतु प्रयुक्त खननाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मी.टन)	अधिशुल्क की दर	वसूली योग्य राशि
6	सहायक स्वनि अभियंता निम्बाहेडा	71	20	बी/65/2007	सुगनी देवी जाट	चाइना क्ले	27.10.17 से 21.08.19 22.08.19 से 31.03.22 22.08.19 से 31.03.22	21 1997 100	739.35 79043.71 3312.4	50 65 90	369675 51378411.5 2981160
योग											
7	स्वनि अभियंता करौली	257	50	49एन/1998	श्री श्याम लाल माली	चिनाई पत्थर	01.04.18 से 12.09.21 13.09.21 से 31.03.22	4671 591	33298.45 4429.58	28 35	54729247 9323566 1550353
योग											
8	स्वनि अभियंता सिरौही	421	50	129/2002	ईश्वर सिंह	लाइम स्टोन (क्रेशर)	27.10.17 से 12.09.21 13.09.21 से 04.02.22	398 73	9579.1 1298.05	28 35	10873919 2682148 454318
योग											
9	स्वनि अभियंता जयपुर	807	50	278/2006	अनुभव इंटरप्राइजेज	चिनाई पत्थर	9/2016 से 10/2017 11/2017 से 3/2018	0* 30	1760 393.27	30 35	528000 137644.5

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मौजूदा पट्टों की कुल संख्या	चयनित पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	अवधि	निर्गमन हेतु प्रयुक्त रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मी.टन)	अधिशुल्क की दर	वसूली योग्य राशि	
10				134/1997	अजित सिंह	चिनाई पत्थर	4/2018 से 19.04.2021	234	3260.85	35	1141297.5	
							6/2004 से 09/2007	0*	13932	8	1114560	
							10/2007 से 12/2010	0*	43646	16	6983360	
							01/2011 से 07/2014	0*	113746	22	25024120	
							08/2014 से 10/2017	0*	111828.28	30	33548484	
							11/2017 से 03/2018	2255	18757.62	35	6565167	
							04/2018 से 07.10.2021	6597	70367	35	24628450	
योग								9116	377691.02		99671083	
योग		2048	220					21687	591552.39	0		202294265

* चूंकि ऑफलाइन रवन्नाओं का दुरुपयोग करके कुल 2,84,912.28 मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किया गया था, इसलिए उपयोग किए गए रवन्नाओं की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

परिशिष्ट-9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3.8.1 (ii); पृष्ठ 87)

2020-23 के दौरान अनुपयोगी कैमरों का विवरण

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
रणथंभोर बाघ अभयारण्य	राजबाग -1	04.01.2021 से 05.02.2021	32 दिन		
		15.07.2021 से 31.03.2022	260 दिन	22.09.2021	69 दिन
		01.04.2022 से 12.05.2022	41.5 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	राजबाग -2	04.01.2021 से 05.02.2021	32 दिन		
		27.08.2021 से 21.02.2022	179 दिन	22.09.2021	26 दिन
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	झूमर बावड़ी	04.01.2021 से 05.02.2021	32 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	आमा घाटी	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		30.06.2022 से 21.07.2022	22 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा)

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
	हिल टॉप आरटीआर किला के सामने	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		19.07.2021 से 17.09.2021	61 दिन		
		30.06.2022 से 04.08.2022	36 दिन		
		10.08.2022 से 22.08.2022	12.5 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	भैरव जी का स्थान	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		23.11.2021 से 04.02.2022	74 दिन		
		30.06.2022 से 21.07.2022	22 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		16.12.2022 से 23.02.2023	70 दिन		
		01.03.2023 से 14.03.2023	14 दिन		
	हाई पॉइंट	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		10.08.2021 से 13.10.2021	65 दिन	22.09.2021	43 दिन
		30.06.2022 से 04.08.2022	36 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	जागीरदार की हवेली	04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		30.06.2022 से 21.07.2022	22 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	लाडा लाडी की घाटी	02.12.2020 से 15.12.2020	13 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
		04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		19.07.2021 से 04.02.2022	201 दिन	22.09.2021	65 दिन
		30.06.2022 से 04.08.2022	36 दिन		
		10.08.2022 से 25.08.2022	15.5 दिन		
		15.09.2022 से 04.10.2022	20 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	मानसरोवर डेम	24.12.2020 से 09.02.2021	47 दिन		
		07.06.2021 से 25.06.2021	19 दिन		
		10.08.2021 से 17.02.2022	192 दिन	22.09.2021	26 दिन
		30.06.2022 से 24.07.2022	25 दिन		
		10.08.2022 से 24.08.2022	14.5 दिन		
		22.12.2022 से 27.02.2023	68 दिन		
		01.03.2023 से 29.03.2023	29 दिन		
	बालाजी टेंट	24.12.2020 से 09.02.2021	47 दिन		
		07.06.2021 से 23.07.2021	47 दिन		
		10.08.2021 से 17.02.2022	192 दिन	22.09.2021	43 दिन
		30.06.2022 से 24.07.2022	25 दिन		
		10.08.2022 से 24.08.2022	14.5 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	शेरपुर	10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	सदर गेट	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
सरिस्का बाघ अभयारण्य		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा)

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
	भूतहरी तिवारा	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		01.07.2020 से 04.11.2020	126 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	बन्ना टॉप	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	पानाली	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	फाटा सोरा	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	माला जोड़का	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
		10.08.2022 से 07.09.2022	29 दिन		
	कांकवाड़ी	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
		12.08.2022 से 05.09.2022	25 दिन		
		07.09.2022 से 19.09.2022	12.5 दिन		
	स्टार पॉइंट	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		09.09.2020 से 23.09.2020	14 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	पांडु पोल	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		26.10.2020 से 04.12.2020	39 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		
		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
	हवामहल	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		31.08.2020 से 02.11.2020	63 दिन		
		09.11.2020 से 04.12.2020	25 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		
	क्रास्का टॉप	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		09.11.2020 से 04.12.2020	25 दिन		
		24.09.2021 से 07.02.2022	137 दिन		
		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		
	क्रास्का डाउन	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 08.02.2022	138 दिन		
	हनुमान मंदिर	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		26.10.2020 से 18.11.2020	23 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
		27.10.2022 से 07.12.2022	42 दिन		
		12.12.2022 से 31.03.2023	111 दिन		
	काला सोरा	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		11.08.2020 से 25.09.2020	45 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		
		02.09.2022 से 15.09.2022	13.5 दिन		
	तालवृक्ष	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		14.09.2020 से 26.09.2020	12 दिन		
		12.01.2021 से 29.01.2021	17 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा)

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
मुकंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		
	सुकोला (रोटक्याला)	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		31.08.2020 से 06.10.2020	36 दिन		
		07.10.2020 से 02.11.2020	26 दिन		
		04.11.2020 से 05.12.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 07.02.2022	137 दिन		
		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		
	एमएचटीआर डैम-1	10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	एमएचटीआर डैम-2	27.10.2020 से 23.11.2020	27 दिन		
		03.12.2020 से 16.12.2020	13 दिन		
		10.01.2023 से 02.03.2023	51.5 दिन		
		17.03.2023 से 31.03.2023	15 दिन		
	घाटी माता	10.01.2023 से 24.02.2023	46.5 दिन		
	फुड तालाब	10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	हिल टॉप	10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	मशालपुरा-1	27.07.2022 से 09.08.2022	13.5 दिन		
		12.08.2022 से 31.08.2022	20 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	मशालपुरा-2	27.07.2022 से 09.08.2022	13.5 दिन		
		12.08.2022 से 31.08.2022	20 दिन		
	10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन			
मशालपुरा-3	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन			
	18.07.2022 से 28.11.2022	133.5 दिन			

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
		10.01.2023 से 24.02.2023	46.5 दिन		
	मशालपुरा-4	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		29.07.2022 से 04.11.2022	99 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46.5 दिन		
	मशालपुरा-5	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	बाबा की मजार	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	मोहनपुरा	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		12.08.2022 से 02.09.2022	22 दिन		
		04.10.2022 से 07.11.2022	35 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	तीन मंजिल	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		03.12.2020 से 16.12.2020	13 दिन		
		12.08.2022 से 08.11.2022	89 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	फुट चौकी	07.10.2020 से 10.12.2020	64 दिन		
		14.12.2020 से 26.02.2021	74 दिन		
		12.08.2022 से 02.09.2022	22 दिन		
		04.10.2022 से 07.11.2022	35 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	केशवपुरा	07.10.2020 से 26.02.2021	142 दिन		
		03.08.2022 से 22.08.2022	20 दिन		

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा)

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
		24.08.2022 से 09.09.2022	17 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	पदमपुरा	07.10.2020 से 26.02.2021	142 दिन		
		08.08.2022 से 22.08.2022	15 दिन		
		24.08.2022 से 09.09.2022	17 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		

स्रोत: वन विभाग

परिशिष्ट 10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3.8.3 (i); पृष्ठ 94)

राज्य सरकार द्वारा बाघ अभयारण्यों को सीएसएस के अंतर्गत निधियाँ जारी करने में देरी

बाघ अभयारण्य	वर्ष	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	निधि प्राप्ति की तिथि	निधि जारी करने की तिथि (दो सप्ताह)	निधि जारी करने की नियत तिथि	निधि जारी करने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन)	
आरटीआर	2016-17	9.30	30-12-2016	13-01-2017		21-02-2017	39	
	2017-18	7.09	30-08-2017	13-09-2017		09-11-2017	57	
	2018-19	6.45	27-07-2018	10-08-2018		15-01-2019	158	
	2019-20	9.49	22-08-2019	05-09-2019		01-10-2019	26	
	2020-21	9.11	25-08-2020	08-09-2020		16-10-2020	38	
	2021-22	6.66	29-07-2021	12-08-2021		28-02-2022	200	
	2022-23	4.71	13-12-2022	27-12-2022		03-03-2023	66	
				29-03-2023	12-03-2023		07-06-2023	87
	2016-17	2.91	07-09-2016	21-09-2016		26-10-2016	35	
	2017-18	2.76	30-06-2017	14-07-2017		04-09-2017	52	
एमएचटीआर	2018-19	3.27	27-07-2018	10-08-2018		15-01-2019	158	
	2019-20	5.77	23-07-2019	06-08-2019		01-10-2019	56	
	2020-21	7.06	13-07-2020	27-07-2020		16-10-2020	81	
	2021-22	3.18	23-09-2021	07-10-2021		28-02-2022	144	
	2022-23	1.51	12-12-2022	26-12-2022		08-02-2023	44	
	2016-17	5.98	07-10-2016	21-10-2016		08-11-2016	18	
	2017-18	5.47	26-05-2017	09-06-2017		30-08-2017	82	
	2018-19	7.12	27-07-2018	10-08-2018		16-01-2019	159	

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा)

बाघ अभयारण्य	वर्ष	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	निधि प्राप्ति की तिथि	निधि जारी करने की नियत तिथि (दो सप्ताह)	निधि जारी करने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन)
	2019-20	10.08	06-08-2019	20-08-2019	22-09-2019	33
	2020-21	11.29	23-07-2020	06-08-2020	21-10-2020	76
	2021-22	5.88	17-09-2021	01-10-2021	20-12-2021	80
	2022-23	3.89	27-12-2021	10-01-2022	28-02-2022	49
			16-12-2022	30-12-2022	20-03-2023	80
			29-03-2023	12-04-2023	06-06-2023	55
योग	2016-23	128.98				18-200 दिन

परिशिष्ट 11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3.8.3 (ii); पृष्ठ 96)

स्वीकृत एवं कार्यरत प्रति वन रक्षक वन क्षेत्र का विवरण

बाघ अभयारण्य	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	वन रक्षक की स्वीकृत संख्या (31 मार्च 2023)	प्रति वन रक्षक स्वीकृत वन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	कार्यरत क्षमता (31 मार्च 2023)	प्रति वन रक्षक कार्यरत वन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	आवृत क्षेत्र में वृद्धि (प्रतिशत)
आरटीआर, सवाई माधोपुर	934.17	120	7.78	43	21.72	179.18
आरटीआर, करौली	477.12	104	4.59	31	15.39	235.29
एमएचटीआर	759.99	112	6.79	34	22.35	229.16
एसटीआर	1,213.34	133	9.12	56	21.67	137.61
योग	3,384.62	469		164		

परिशिष्ट-12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.3; पृष्ठ 125)

सतही किराया एवं उस पर ब्याज की अवसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	क (पट्टा संख्या 46/2011)		वर्ष	ख (पट्टा संख्या 45/2011)	
	सतही किराया	ब्याज @ 18 प्रतिशत अवधि		सतही किराया	ब्याज @ 18 प्रतिशत अवधि
2013-14	2,21,000 ³	3,58,020	2013-14	2,21,000 ³	3,58,020
2014-15	2,54,150 ⁴	3,65,976	2014-15	2,54,150 ⁴	3,65,976
2015-16	2,54,150	3,20,229	2015-16	2,54,150	3,20,229
2016-17	2,54,150	2,74,482	2016-17	2,54,150	2,74,482
2017-18	2,92,272	2,63,045	2017-18	2,92,272	2,63,045
2018-19	2,92,272	2,10,436	2018-19	2,92,272	2,10,436
2019-20	2,92,272	1,57,827			
2020-21	3,36,113	1,21,001			
कुल	21,96,379	20,71,016		15,67,994	17,92,188

सतही किराया	37,64,373
ब्याज	38,63,204
कुल	76,27,577

³ उच्चतम बोलीदाता द्वारा अनुबंध राशि। आयुक्त, देवस्थान विभाग(अनुज्ञादाता) एवं सफल आवेदनकर्ता (अनुज्ञाधारी), क तथा स के मध्य क्रमशः दिनांक 13 दिसम्बर 2011 एवं 14 दिसम्बर 2011 को अनुबंध निष्पादित किए गए।

⁴ वर्ष 2011 में पट्टा उच्चतम बोली राशि पर आवंटित किया गया तथा अनुज्ञादाता को तीन वर्ष की अवधि में सतही किराया बढ़ाने एवं संशोधित करने का अधिकार था जो प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत बढ़ाया गया।

संक्षिप्त शब्दावली

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
एसीएस	अतिरिक्त मुख्य सचिव
एडीजी	अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान
एडीएम	अतिरिक्त निदेशक, स्वान
एएमई	सहायक स्वनि अभियंता
सी एण्ड एजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएमपीए	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीसीएफ एण्ड एफडी	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
सीओटी	परिवहन आयुक्त
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीटीओ	संचालन के लिए सहमति
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	मुख्य वन्यजीव संरक्षक
डीसीएफ एण्ड डीएफडी	उप वन संरक्षक और उप क्षेत्र निदेशक
डीसीआर	मांग और संग्रहण पंजिका
डीएफओ	जिला वन अधिकारी
डीआई	नमनीय लोहा
डीएलआईसी	जिला स्तर कार्यान्वयन समिति
डीएमएफटी	जिला स्वनिज फाउंडेशन ट्रस्ट
डीएमजी	निदेशक, स्वान एवं भूविज्ञान
डीएमजीओएमएस	स्वान एवं भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली
डीओआईटी एण्ड सी	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
डीपी	निदेशक पेट्रोलियम
ईडीसीएस	पारिस्थितिक विकास समितियां
ईआरसी	अधिक अधिशुल्क संग्रहण
ईआरसीसी	अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार
ईएसआर	उन्नत सेवा जलाशय
ईएसजेड	पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र
जीसीसी	अनुबंध की सामान्य शर्तें
जीओआई	भारत सरकार
जीओआर	राजस्थान सरकार
जीपीएस	वैश्विक स्थिति प्रणाली
आईजीएमपीवाई	इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
आईआर	निरीक्षण प्रतिवेदन
एलपीसीडी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
एमई	स्वनि अभियंता
एमएल	स्वन्न पट्टे
एमएमडीआर	स्वान और स्वनिज (विकास और विनियमन)
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमटी	मीट्रिक टन
एनएलसीपीएल	नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनडब्ल्यूएपी	राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना
ओएंडएम	संचालन और रखरखाव
पीएसी	जन लेखा समिति
पीडी	निजी निक्षेप
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीएमकेकेकेवाई	प्रधानमंत्री स्वनिज क्षेत्र कल्याण योजना
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
पीडब्लूडी	जन निर्माण विभाग
पीडब्लूएमएस	वहनीय वजन मशीनें
क्यूएल	स्वदान अनुज्ञप्ति
आरसी	अधिशुल्क संग्रहण
आरएमएमसी	राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत
आरएमएमसीआर	राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत अधिनियम
आरएसएमईटी	राजस्थान राज्य स्वनिज अन्वेषण ट्रस्ट
आरएसपीसीबी	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आरटीओएस	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों
आरटीपीपी	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता
आरडब्ल्यूएसएसएमबी	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन बोर्ड
एसबीडब्ल्यूएल	राज्य वन्यजीव बोर्ड
एसएलईसी	राज्य स्तरीय सशक्त समिति
एसएमई	अधीक्षण स्वनि अभियंता
एसटीपी	अल्पावधि अनुज्ञापत्र
टीसीएफ	बाघ संरक्षण फाउंडेशन
टीसीपीएस	बाघ संरक्षण योजनाएँ
टीएस	तकनीकी स्वीकृति
यूएनएसडीजी	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य
डब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल कल्याण विभाग
डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव संस्थान भारत